

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं. 38/अपील/2025
(GCMS No. 2025/96)

प्रविष्टि दिनांक
21.07.2025

निर्णय दिनांक
08.09.2025

बूटा सिंह पुत्र कुलवंत सिंह जाति सिख,
निवासी ग्राम मण्डावरी फार्म, तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोंडेंट



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से श्री उमेश शर्मा एडवोकेट।
रेस्पोंडेंट की ओर से परोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 179/2025 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरुद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 38/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/96 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पों. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।


जिसा कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया, अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जिससे अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांत अपने अधिकारों से वंचित हो गया। इसके बावजूद अपीलांत की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा आदेश पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांत द्वारा कब्जा छोड दिया है। आरोपित शास्ति अपीलांत द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांत पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांत द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अपील जानकारी से अवधि मध्य पेश की है, यदि विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2025 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।



परोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह चरागाह भूमि है, जिस पर अपीलांत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्त बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांत के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांत ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रा0पत्र न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।


जिला न्यायालय, बुंदी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने भूमि खसरा सं. 305 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावरा पर संवत् 2081 मौसम रबी में अनाधिकृत अतिक्रमण कर गेहूं की फसल काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए 313/- रु. शारित, बेदखली तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अतिक्रमी द्वारा संवत् 2081 मौसम खरीफ में भी उक्त भूमि पर चावल की फसल कर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमियों को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलांट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय नायब तहसीलदार बून्दी की पत्रावली सं. 1511/2024 निर्णय दिनांक 03.12.2024 की प्रमाणित प्रति से होती है, किन्तु दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा छोड़ दिये जाने, शास्ति राशि जमा करवा दिये जाने एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किये जाने की बात कही है।

अतः RRD 2009 पेज 358, RRD 2015 पेज 102 एवं RRD 2019 पेज 480 पर उद्धरण न्यायिक दृष्टांतों को मददेनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से मौके पर कब्जा छोड़ दिया हो, अधिरोपित सम्पूर्ण शास्ति जमा करा दी गई हो तथा अपीलांट भविष्य में पुनः उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर दिया जावे, तब नायब तहसीलदार बून्दी इन सब तथ्यों की पुष्टि कर इसे पत्रावली की आदेशिका में उल्लेखित करने के उपरान्त, अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित शास्ति एवं बेदखली से संबंधित आदेश यथावत रखते हुये, केवल सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलांट द्वारा इस निर्णय के एक माह की अवधि में ऐसा नहीं करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.03.2025 यथावत प्रभावशील रहेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

